- 3 -

23 JUN 2020

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर

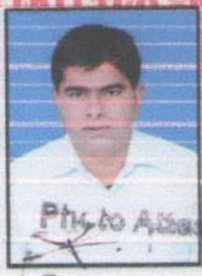

[ट्रस्ट डीड] JUN 2020

FL 079751

स्टाम्प - 800/-
(आठ सौ रु)

मैं राम अवतार यादव पुत्र स्व. श्री हर दयाल सिंह निवासी यशोदा नगर इटावा का हूँ । जो कि आज दिनांक **5-7-2020** को यह न्यास विलेख निष्पादित करता हूँ क्योंकि इसका इच्छुक हूं कि स्थापित न्यास ट्रस्ट द्वारा नियुक्त न्यासियोंकी अनुमति और माध्यम से शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया जा सके और शिक्षा हेतु प्राइमरी विद्यालय से उच्चतम महाविद्यालय की स्थापना के साथ-साथ जनहित में चिकित्सालय आदि स्थापित किये जा सकें।

अतः मैं न्यासकर्ता इस न्यास विलेख में वर्णित उद्देश्य की पूर्ति और पूर्ण प्रयोजनार्थ न्यास बनाने के उद्देश्य से 11,000- रूपये की धनराशि न्यास के केन्द्रक (न्यूक्लियंस) के रूप में पृथक रूप से जमा की है और न्यास के स्थापित करने हेतु मुझ न्यासकर्ता ने अपने अतिरिक्त निम्नलिखित न्यासी उनकी अनुमति से नियुक्त किये है-

क. श्री उमा कान्त यादव पुत्र श्री राम अवतार यादव निवासी यशोदा नगर इटावा

ख. श्रीमती नीतू यादव पुत्री श्री महावीर सिंह यादव निवासी यशोदा नगर इटावा

ग. हर्ष यादव पुत्र श्री उमा कान्त यादव निवासी यशोदा नगर इटावा

MANAGER
S R Memorial International School
Baudh Nagar, Adda Usara, Etawah

एजेन्ट क्र0 26 सामिल नं0........

स्टाम्प बिक्री की तिथि 7-7-2020

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता श्री [illegible] यादव [illegible]

[illegible]

स्टाम्प की धनराशि रु. 100/

सुघर सिंह–स्टाम्प विक्रेता

लाइसेन्स नं0 03/2012-13

वैधता तिथि 31–03–2022

तहसील परिसर–इटावा

23 JUN 2020

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17 JUN 2020 FL 079752

न्यास के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे-

1. न्यास ट्रस्ट की संरक्षकता में शिक्षण संस्थायें स्थापित करना, तकनीकी शिक्षा हेतु निर्बल व प्रतिभावान छात्रों को प्रेरित करना, उनकी सहायता करना, चिकित्सालय स्थापित करना, अवार्ड देना,छात्रवृत्ति और शिक्षा के लिये प्रोत्साहित करना तथा कृषकों को और कृषि हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना तथा हर प्रकार से शिक्षा में प्रोत्साहन देना ।

2. शैक्षिक संस्थायें स्थापित करके सी0बी0एस0ई0 बोर्ड और हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट बोर्ड, विश्वविद्यालय से सम्बध्दता प्राप्त करना और मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज व चिकित्सालय स्थापित करते हुये उन्हीं से सम्बन्धित छात्र-छात्राओं के निवास के लिये छात्रावास स्थापित करना तथा छात्रों के स्वास्थ्य का परीक्षण आदि करवाना और निशुल्क हर प्रकार का चिकित्सीय और शैक्षिण सहयोग व सहायता प्रदान करना।

रजिस्टर क्र० 27 शामिल नं० 26
स्टाम्प बिक्री की तिथि 2-7-2020
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन [illegible]
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता [illegible]

[illegible] 1500/-

[illegible]
सुधर सिंह–स्टाम्प विक्रेता
लाइसेन्स न० 03/2012-13
वैधता तिथि 31-03-2022
तहसील परिसर–इटावा

23 JUN 2020

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17 JUN 2020

FL 079755

3. विद्यार्थियों को हर प्रकार की सहायता प्रदान करने हेतु जो समस्त शैक्षिण संस्थाऐ, चिकित्सालय आदि स्थापित किये जायेंगे उनमें इस प्रकार की सहायता और सहयोग का निष्पादन एवं प्रोत्साहन बिना धर्म, जाति, वशं, समाज, रंग, वर्ण विशेष लिंग के अन्तर्गत मतभेद भाव से करना।

4. बेसहारा महिलाओं, पुरूषों तथा वरिष्ठ वयोवृध्द नागरिकों को हर प्रकार की सहायता प्रदान करना जिससे उनका जीवन सुरक्षित हो तथा पर्यावरण प्रदूषण रहित शुध्द पेयजल की उचित व्यवस्था करना और बालक-बालिकाओं का सामाजिक, मानसिक, चारित्रिक व शैक्षणिक विकास करना तथा उसमें व्याप्त कुपोषण को दूर करते हुये स्वावलम्ब हेतु कार्य करना।

1. इस न्यास ट्रस्ट का नाम **हर दयाल सिंह फाउंडेशन** होगा कि जिसको इस विलेख में आगे न्यास के नाम से संबोधित किया जायेगा और इसका रजिस्टर्ड कार्यालय गाँव अड्डा ऊसरा नगर क्षेत्र एवं तहसील इटावा रहेगा।

रजिस्टर क्र०...28...शामिल नं०...26...
स्टाम्प बिक्री की तिथि...7-7-2020...
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन...[illegible]...
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता.........
....
स्टाम्प का धनराशि रु०...100/-...

सुधर सिंह—स्टाम्प विक्रेता
लाइसेन्स न० 03/2012-13
वैधता तिथि 31-03-2022
तहसील परिसर-इटावा

23 JUN 2020

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

17 JUN 2020

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FL 079754

2. न्यासीगण व्दारा यदि आवश्यकता समझी जाती है तो अन्य स्थान पर भी कार्यालय स्थापित किया जा सकता है ।

3. न्यासकर्ता ने 11,000रू0 की धनराशि न्यास ट्रस्ट को केन्द्रक (न्यूक्लियस) के रूप में दी है जो धनराशि न्यास की सम्पत्ति हो गयी और रहेगी और न्यास ही इस धनराशि की और भविष्य में अर्जित धनराशि की आधिपत्यधारी स्वामी होगी तथा मुझ न्यासकर्ता और किसी भी न्यासी का इसमें किसी प्रकार का न कोई व्यक्तिगत हित रहा और न होगा।

4. न्यास को पूरा अधिकार रहा और है कि दानदाताओं व्दारा जो भी धनराशि अथवा चल अचल सम्पत्ति दान करते हैं उसको न्यास के प्रयोजनार्थ धारण करेगें और वह समस्त सम्पत्ति न्यास की ही होगी किसी भी न्यासी या व्यक्ति को उसके स्वामित्व व व्यक्तिगत प्रयोग से कोई सम्बन्ध नही रहेगा ।

रजिस्टर क्र०...29...शामिल नं०...26...
स्टाम्प बिक्री की तिथि...7-7-2020
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन...
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता...
...
स्टाम्प के अंकित रु०...100

सुधर सिंह–स्टाम्प विक्रेता
लाइसेन्स न० 03/2012-13
वैधता तिथि 31–03–2022
तहसील परिसर–इटावा

23 JUN 2020

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17 JUN 2020

FL 079755

5. न्यास के हित में और उसके प्रयोजनार्थ दानदाता जो भी सम्पत्ति दान में देगा उस दानदाता को किसी प्रकार का कोई अधिकार न्यास में उत्पन्न न होगा और न्यासीकरण निर्णय करते हैं तो ऐसा दानदाता का अन्य सहयोग प्राप्त कर सकेंगे परन्तु उसको न्यास की कार्यशैली और कार्य में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार प्राप्त न होगा।

6. केन्द्रक(न्यूक्लियस) धनराशि कभी भी अंतरित नहीं की जा सकेगी और जो भी अचल सम्पत्ति न्यास ग्रहण और धारण करेगा उसको न्यास के कार्य हेतु ही यदि आवश्यकता होती है तो न्यासियों की सर्वसम्मति और बहुमत से ही अंतरित की जा सकेगी परन्तु शर्त यह कि अंतरण से प्राप्त धनराशि से न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य सम्पत्ति क्रय की जा सकेगी अथवा किसी प्रभावी जनहित कार्य में उसको प्रयोग में लाया जा सकेगा।

7. न्यास ट्रस्ट सार्वजनिक न्यास ट्रस्ट न होगा और सार्वजनिक जनता या किसी को भी न्यास के कार्य में हस्तक्षेप का अधिकार न होगा केवल न्यासीगण या उनके उत्तराधिकारी को ही पूर्ण अधिकार न्यास का कार्य करने, कार्यशैली, न्यास के उद्देश्य की पूर्ति का निर्णय करने के समस्त अधिकार प्राप्त होगा। किसी बाहरी व्यक्ति को उसमें आपत्ति करने, हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त न होगा।

रजिस्टर क्र0....30....सामिल नं0....26....
स्टाम्प बिक्री की तिथि....7-7-2020....
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन....
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता....
....
स्टाम्प के धनराशि रु0....

सुधर सिंह–स्टाम्प विक्रेता
लाइसेन्स न० 03/2012-13
वैधता तिथि 31–03–2022
तहसील परिसर–इटावा

23 JUN 2020

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17 JUN 2020

FL 079755

8. न्यास ट्रस्ट व्दारा जो भी जनहित में कार्य किया जायेगा वह वगैर किसी धर्म, जाति, समाज, वंश, वर्ग, रंग, लिंग के आधार पर भेदभाव न करते हुये ही कार्य किया जायेगा और सभी वर्ग के पात्रों को सहायता, सहयोग और प्रोत्साहित किया जायेगा।

9. न्यास ट्रस्ट चैरिटेबिल ट्रस्ट ही रहेगा। किसी प्रकार से धन अर्जित करने हेतु व्यक्तिगत लाभ का माध्यम न होगा और न किसी राजनैतिक दल, धार्मिक संस्था आदि से सम्बध्द रहेगा बल्कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र जनहित के प्रयोग हेतु संस्था रहेगी।

रजिस्टर क्र० 31 शामिल नं० 26
स्टाम्प बिक्री की तिथि 7-2-2020
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन [illegible]
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ....
....
स्टाम्प का धनराशि रु० 100/-

सुधर सिंह-स्टाम्प विक्रेता
लाइसेन्स न० 03/2012-13
वैधता तिथि 31-03-2022
तहसील परिसर-इटावा

23 JUN 2020

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 17 JUN 2020 FL 079757

10. न्यास संस्था दान स्वरूप व्यक्तियों से राजकीय सहायता अन्य संसाधनों तथा किसी भी तरह से प्राप्त करने के लिये अधिकृत होगी परन्तु वह समस्त धनराशि अर्जित दान सम्पत्ति, न्यास के उद्देश्य के अन्तर्गत ही व्यय की जायेगी।

11. न्यासी मण्डल के निम्नलिखित आजीवन पदाधिकारी एवं न्यासीगण होंगे-

1. क. श्री उमा कांत यादव — अध्यक्ष
   ख. श्री राम अवतार यादव — उपाध्यक्ष
   ग. श्रीमती नीतू यादव — महासचिव

रजिस्टर क्र० 32 शामिल नं० 26

स्टाम्प बिक्री की तिथि 7-2-2020

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ...

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता...

....

स्टाम्प की धनराशि रु० 100/-

सुघर सिंह—स्टाम्प विक्रेता
लाइसेन्स न० 03/2012-13
वैधता तिथि 31—03—2022
तहसील परिसर—इटावा

23 JUN 2020

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17 JUN 2020 FL 079758

2. यदि कोई भी न्यासी या पदाधिकारी असमर्थता के कारण त्यागपत्र देता है तो उसके स्थानापन्न पर शेष पदाधिकारी और न्यासी किसी भी अन्य सदस्य को निर्वाचित कर सकेंगे कि जिसमें किसी परिवार, जाति, लिंग, वंश, वर्ग विशेष का कोई विचार न किया जा सकेगा ।

3. किसी पदाधिकारी न्यासी सदस्य की विधिविरूध्द या अशोभनीय, असमाजिक, अनैतिक गतिविधियॉ होती हैं तो न्यासी मण्डल को उस न्यासी को उस पद और न्यासी सदस्यला से हटाने का पूर्ण अधिकार होगा कि जिसमें किसी को कोई आपत्ति न होगी ।

रजिस्टर क्र० 52 शामिल नं० 26

स्टाम्प बिक्री की तिथि 2-2-2020

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम व पुत्र पत्नी..........

....

[illegible] [illegible]..........

सुधर सिंह–स्टाम्प विक्रेता
लाइसेन्स न० 03/2012-13
वैधता तिथि 31-03-2022
तहसील परिसर–इटावा

2. यदि कोई भी न्यासी या पदाधिकारी असमर्थता के कारण त्यागपत्र देता है तो उसके स्थानापन्न पर शेष पदाधिकारी और न्यासी किसी भी अन्य सदस्य को निर्वाचित कर सकेंगे कि जिसमें किसी परिवार, जाति, लिंग, वंश, वर्ग विशेष का कोई विचार न किया जा सकेगा ।

3. किसी पदाधिकारी न्यासी सदस्य की विधिविरूध्द या अशोभनीय, असामाजिक, अनैतिक गतिविधियाँ होती हैं तो न्यासी मण्डल को उस न्यासी को उस पद और न्यासी सदस्यता से हटाने का पूर्ण अधिकार होगा कि जिसमें किसी को कोई आपत्ति न होगी ।

4. किसी न्यासी या पदाधिकारी का पद रिक्त हुआ हो या नहीं हुआ है और उसका निष्कासन उचित है या अनुचित है इस पर शेष न्यासी मण्डल का निर्णय ही अन्तिम होगा ।

5. यदि न्यासी मण्डल व्दारा किसी निर्णय में समान मत रहते हैं तो न्यासी अध्यक्ष को अन्तिम मत और निर्णय देने का अधिकार होगा कि जो मान्य होगा और उसको चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

6. आजीवन न्यासी को अधिकार होगा कि वह अपने उत्तराधिकारी को चयनित करे उसकी घोषणा करे और आकस्मिक रिक्तता पर न्यासी मण्डल को नियुक्त करने का अधिकार होगा।

12. न्यास ट्रस्ट सभी शक्तियों और हित न्यासी मण्डल में निहित होंगी-

1. न्यास ट्रस्ट का फण्ड किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या किसी अन्य बैंक में खाता खोलकर उसमें जमा किया जायेगा और उसका सचांलन अध्यक्ष व महासचिव व्दारा संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा

2. न्यास के लिये न्यास को किसी प्रकार का कोई ऋण किसी सरकारी बैंक अथवा किसी अन्य बैंक से लेने का अधिकार होगा और दान में चल और अचल सम्पत्ति न्यास ट्रस्ट के नाम पर ही प्राप्त की जा सकेगी किसी न्यासी या पदाधिकारी के नाम पर प्राप्त नही की जावेगी|

3. न्यास या न्यासी के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई विधिक कार्यवाही की जाती है तो उसका अधिकार क्षेत्र इटावा न्यायालय होगा और अध्यक्ष / महासचिव के माध्यम से अथवा न्यास मण्डल यदि किसी अन्य को अधिकृत करे उसी को पूर्ण अधिकार होगा|

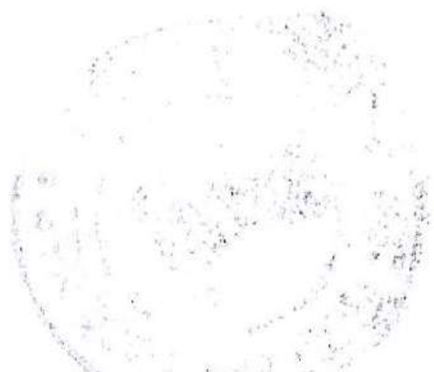

4. न्यास का जो खाता रखा जायेगा तथा समस्त प्रलेखों का रखरखाव महासचिव करेगा और हिसाब किताब का परीक्षण ऑडीटर व्दारा प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य हुआ करेगा |

5. यदि आवश्यकता होती है तो न्यास के हित में आयकर छूट के सम्बन्ध में आयकर विभाग में कार्यवाही हेतु पंजीकरण कराया जायेगा |

6. कोई भी न्यासी किसी प्रकार से भी वेतन आदि प्राप्त करने का अधिकारी न होगा और यदि न्यास के उद्देश्य के कार्य हेतु किसी धन की आवश्यकता होती है तो न्यासी उसके सम्बन्ध में अनुमति प्राप्त करेगा |

7. न्यासी मण्डल की अध्यक्षता अध्यक्ष करेगा परन्तु अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि यदि किसी बैठक में वह आने में असमर्थ रहते हैं तो अपने स्थान पर किसी भी अन्य न्यासी को अधिकृत करके अध्यक्षता के लिये अनुमति प्रदान कर दें परन्तु शर्तें यह है कि बैठक का कोरम कम से कम दो न्यासी का होना चाहिए|

8. यदि अपरिहार्य कारणवश न्यास के हित में किसी भी समय तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता होती है और न्यासीगण उपस्थित होने में असमर्थ हों सूचना प्राप्त न कर सके तो अध्यक्ष न्यास्शक्ति को स्वयं प्रयोग में लाकर कार्य पूर्ण करेगा परन्तु ऐसा कार्य और शक्ति का प्रयोग न्यासी मण्डल की अगली बैठक के निर्णय के अधीन होगा और यदि उस बैठक में न्यासी मण्डल इस प्रकार के अध्यक्ष के कार्य की पुष्टि नहीं करते है तो वह निष्प्रभावी होगा |

9. न्यासी मण्डल के समस्त निर्णय बैठक आदि की कार्यवाही महासचिव व्दारा लेखबद्ध होगी तथा अध्यक्ष और महासचिव व्दारा हस्ताक्षरित की जाएगी और महासचिव व्दारा प्रमाणित ऐसे प्रलेखो की सत्य प्रतिलिपि मान्य होगी तथा महासचिव को न्यास की ओर से सब प्रलेखों पर हस्क्षार करने और प्रमाणित करने का अधिकार होगा।

10. उपरोक्त वर्णित तीनो न्यासियों के अतिरिक्त न्यास में अधिक से अधिक 11 न्यासी हो सकेंगे परन्तु आजीवन न्याशियो के अंतर्गत जो अन्य न्यासी सम्मिलित किये जायेगें या किसी अन्य न्यासी का कार्यकाल 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा और 3 वर्ष पूर्ण होने पर उसका कार्यकाल स्वतः ही समाप्त हो जायेगा तथा उसके स्थान पर अन्य न्यासी नियुक्त और निर्वाचित करने का पूर्ण अधिकार शेष न्यासीमंडल को होगा परन्तु यदि उसके स्थान पर अन्य न्यासी

निर्वाचित और नामित नहीं किये जाते हैं तो आजीवन न्यासियों का ही न्यास मंडल वैध और कार्यरत रहेगा।

आवेदन सं०: 202000838006924

न्यास पत्र

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 34 वर्ष: 2020

प्रतिफल- 11000 स्टाम्प शुल्क- 800 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 110 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग : 210

श्री राम अवतार यादव ,
पुत्र श्री स्व० हर दयाल सिंह
व्यवसाय : व्यापार
निवासी: यशोदा नगर शहर व जिला इटावा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 24/07/2020 एवं 02:43:34 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अरुण कुमार गुप्ता
उप निबंधक :सदर
इटावा
24/07/2020

शैलेश कुमार श्रीवास्तव
निबंधक लिपिक

11. न्यासी मण्डल न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संशोधन करते हुए कार्य को सुलभ बनाने हेतु नियम, विनियम बना सकेगा जो संशोधन व नियम, विनियम कर सकेगा जो मूल रूप से इस न्यास विलेख में असंगत न हो।

12. न्यास विलेख अपर्वतनीय तथा अखण्डनीय होगा व न्यास सम्पत्ति और केन्द्रक (न्युक्लियस) वापिस नहीं किया जा सकता।

आवेदन सं०: 202000838006924

बही स०: 4	रजिस्ट्रेशन स०: 34	वर्ष: 2020

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री राम अवतार यादव, पुत्र श्री स्व० हर दयाल सिंह

निवासी: यशोदा नगर शहर व जिला इटावा

व्यवसाय: व्यापार

न्यासी: 2

श्री उमाकान्त यादव, पुत्र श्री राम अवतार यादव

निवासी: यशोदा नगर शहर व जिला इटावा

व्यवसाय: व्यापार

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री गौरव कुमार, पुत्र श्री अशोक कुमार

निवासी: ग्राम इन्धौआ पर० व जिला इटावा

व्यवसाय: दस्तावेज लेखक

पहचानकर्ता : 2

श्री सौरभ यादव, पुत्र श्री विनोद कुमार यादव

निवासी: 86, घटिया अजमत अली शहर इटावा

व्यवसाय: व्यापार

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

अरूण कुमार गुप्ता
उप निबंधक : सदर
इटावा

शैलेश कुमार श्रीवास्तव
निबंधक लिपिक

अतः यह विलेख खूब सोच समझकर स्वतंत्र रूप से शुद्ध शारीरिक व मानसिक स्थिति में बिना किसी दबाव के निष्प्रयोजन के अभाव में उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तहरीर कर दिया कि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आये।

साक्षी गण :

1. गौरव कुमार
पुत्र श्री अशोक कुमार
निवासी ग्राम-ई-धोआ
परगना व जिला इटावा
मो० 8218251812

हस्ताक्षर गवाह

2. सौरभ यादव
पुत्र श्री विनोद कुमार यादव
निवासी म०नं०-86 घटिया
हस्ताक्षर गवाह अजमत अलीइटावा
9045271427

Gaurav Kumar
Deed Writer Etawa

हस्ताक्षर न्यासी गण :

1. ______ (उमा कान्त यादव) 9412320643
पेन नं०- AJXPK8359G

2. ______ (राम अवतार यादव) 9410056200
पेन नं० ABEPY7171K

3. ______ (नीतू यादव)

4. ______ (हर्ष यादव)

दस्तावेज लेखक का नाम- गौरव कुमार
अनुज्ञप्ति नं०-21 विधिमान्य 31-3-21 तक
ली गई फीस ...... रु०
दस्तावेज लेखक के हस्ताक्षर ......

तहरीर दिनाँक
06 जुलाई 2020 ई०

आवेदन सं॰: 202000838006924

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 78 के पृष्ठ 193 से 224 तक क्रमांक 34 पर दिनाँक 24/07/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अरूण कुमार गुप्ता
उप निबंधक : सदर
इटावा
24/07/2020